नवलाराम पुत्र रूगाराम जाट व अन्य निवासी ग्राम पड़ासला तहसील औसियां जिला जोधपुर। बनाम **तहसीलदार लोहावट, श्रीमती प्रतिज्ञा सोनी व अन्य**

किस्म मुकदमा **235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** नम्बर 120 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थीपक्ष द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 के तहत तहसीलदार लोहावट के समक्ष विचाराधीन पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या /2020 बअनवान सोनाराम बनाम नवलाराम वगैरा को सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित करने बाबत् पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थीपक्ष के नोटिस बाद तामील या अदम तामील नहीं लौटा। पीठासीन अधिकारी (तहससीलदार लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की इस्तदुआ पर दिनांक 06.01.21 को बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि वाके ग्राम भीयाड़ीया की भूमि का नवलाराम द्वारा अपनी पुत्रवधु पारू पत्नी ओमाराम के नाम दिनांक 17.02.2020 को पंजीबद्ध कराने के पश्चात् हलका पटवारी ने नामान्तरकरण सं0 692 खोला गया जो तहसीलदार औसियां द्वारा दिनांक 26.02.2020 को स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण स्वीकृत करने के पश्चात् अप्रार्थी सोनाराम द्वारा तहसीलदार लोहावट के समक्ष एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सीपीसी पेश	

जिला कलेक्टर जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:56:17 IST
Reason: SelfAttested

किया जिसमें बतलाया कि सहायक कलक्टर न्यायालय फलोदी द्वारा प्रकरण सं0 65/2019 में दिनांक 25.07.19 से ग्राम भीयाड़ीया के ख.नं. 228/1 रकबा 100 बीघा 06 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं पंजीयन नहीं करने का स्थगन आदेश होने के बावजूद नवलाराम ने गलत पंजीबद्ध करवा कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। बहस में आगे कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर सुनवाई के लिए पत्रावली दिनांक 03.07.2020 को रखी गई। तारीख पेशी पर नवलाराम की ओर से वकालतनामा पेश कर जबाब के लिए समय चाहा गया तो तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी ने कहा कि पत्रावली मे लम्बी तारीख नही दूंगी तथा नामान्तरकरण निरस्त करूंगी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों से अप्रार्थी–2 से तहसीलदार लोहावट प्रतिज्ञा सोनी से मिली भगति होने एवं प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0–1 (तहससीलदार लोहावट) से न्याय नहीं मिलने की संभावना को देखते हुए इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अ/धा 54, राज. भू–राजस्व अधि. दिनांक 07.07.2020 को पेश करते हुए तहसीलदार लोहावट के समक्ष विचाराधीन पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को सुनवाई के लिए अन्यत्र स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की गई, इसी बीच दौरान माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से जारी परिपत्र क्रमांकः राम/न्याय/स्था/प–76/2010/8134 दिनांक 26.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि माननीय राजस्व मण्डल ने राजस्व न्यायालयो को मात्र आवश्यक प्रकृति के मामले यथा

लगातार...

Signature
Digitally sign
Date: 2021.0
Reason: Sel

अस्थाई निषेधाज्ञा में ही सुनवाई करने एवं शेष प्रकरणों में नियमानुसार आगामी तारीख पेशी 20.07.2020 के पश्चात् दी जाने को कहने के बावजूद एवं कोविड–19 के चलते इस न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए भी प्रतिज्ञा सोनी तहसीलदार लोहावट ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.07.2020 को निर्णित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। बहस में यह भी कहा कि यद्यपि तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात् यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो चुका है, परन्तु तहसीलदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार लोहावट से तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक 1544 दिनांक 22.10.2020 में बतलाया कि प्रार्थी सोनाराम द्वारा एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अ/धा 114 सी.पी.सी. पेश करते हुए जाहिर किया न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा प्रकरण सं0 65/2019 में दिनांक 25.07.2019 को ग्राम भियाड़िया के खसरा नम्बर 2228/1 रकबा 100.6 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने, पंजीयन नहीं कराने के स्थगन आदेश जारी किये जाने के बावजूद अप्रार्थी नवलाराम पुत्र दौलाराम जाट ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा का बख्शीशनामा पुत्रवधु पारूबाई पत्नी ओमाराम के नाम दिनांक 17.02. 2020 को गलत पंजीयन करवा दिया तथा स्थगन की जानकारी होने पर भी हलका पटवारी द्वारा नामान्तरकरण

Signatur
Digitally s
Date: 202
Reason: S

सं0 692 खोला और तहसीलदार लोहावट को मुगालते में रखकर नामान्तरकरण स्वीकृत करा दिया। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

रिपोर्ट में आगे यह भी कहा कि प्रकरण आवश्यक प्रकृति एवं संक्षिप्त सुनवाई का होने से न्यायहित में उभयपक्ष के वकीलों की उपस्थिति में प्रकरण की सुनवाई की गई तथा उभयपक्ष के साक्ष्य सबूत रिकॉर्ड पर लेकर दिनांक 17.07.2020 को प्रकरण का विधिवत निस्तारण किया। रिपोर्ट में यह भी कहा कि उक्त निर्णय दिनांक 17.07.2020 के विरूद्ध अप्रार्थी नवलाराम वगैरा द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर फलोदी में अपील दायर की गई तथा निर्णय दिनांक 17.07.2020 की पालना स्थिगित करने आदेश दिया जा चुका है।

यद्यपि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से जारी परिपत्र कमांकः राम/न्याय/स्था/प–76/2010/8134 दिनांक 26.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों में कहा कि समस्त राजस्व न्यायालय मात्र आवश्यक प्रकृति के मामले यथा अस्थाई निषेधाज्ञा में ही सुनवाई करने एवं शेष प्रकरणों में नियमानुसार आगामी तारीख पेशी 20.07.2020 के पश्चात् दी जाने को कहा, परन्तु पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में प्रकरण की सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 17.07.2020 पारित किया चुका है अतः प्रथमतः प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र

लगातार...

Signatur
Digitally sig
Date: 2021
Reason: S

07.01.21	प्रभावहीन हो चुका है। द्वितीयत् उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थीगण/प्रार्थीपक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर फलोदी न्यायालय में अपील दायर की गई जिस से तहसीलदार लोहावट के आदेश दिनांक 17.07.2020 की पालना को स्थगित करने का आदेश हो चुका है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र प्रभावहीन (Infructuous) होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Ve
Digitally signed by An
Date: 2021.01.29 14:
Reason: SelfAttested